षड्यंत्र ▶ आधा दर्जन पीड़ितों ने खोला मोर्चा, साजिश रच फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर पति, पत्नी के खिलाफ प्रकरण दर्ज

बंधक संपत्तियों को कईयों को बेचा, 60 लाख की धोखाधड़ी

नवभारत,जबलपुर। बिल्डर पति, पत्नी ने संपत्तियों की रजिस्ट्री बैंक में बंधक रखकर पहले भारी भरकम लोन लिया इसके बाद जब बैंक ने संपत्ति के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने लोन की राशि चुकाए बिना और बैंक से अनुमति लिए बिना ही बंधक संपत्ति को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अन्य व्यक्तियों को बेच दिया है। सरकारी रिकॉर्ड में अब अन्य लोगों के नाम दर्ज हो चुके हैं, जबकि संपत्ति के मूल दस्तावेज अभी भी फाइनेंस कंपनी में जमा है। धोखाधड़ी का शिकार हुए आधा दर्जन पीड़ितों ने मोर्चा खोल दिया इसके बाद मामले की शिकायत माढ़ोताल थाने में हुई। मामले की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अब भूमि को बैंक में बंधक रख लोन लेने के बाद बंधक भूमि को अलग अलग भाग कर कईयों को बेच 60 लाख की धोखाधड़ करने वाले मैसर्स विराज कस्टक्शन एण्ड एसोसिएटस के प्रोपाईटर पति-पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक मणप्पुरम फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर अभिषेक सिंह राजपूत बताया कि माढोताल निवासी श्रीमती पूजा खरे और उनके पति प्रकाश खरे ने अपनी तीन मकानों की रजिस्ट्री बैंक में बंधक रखी थी।सभी दस्तावेज वैध पाए गए थे और संपत्ति उनके नाम पर दर्ज थी जिन्हें लोन दिया गया था। बाद में पता चला कि पता चला कि आरोपियों ने लोन की राशि चुकाए बिना और बैंक से अनुमति लिए बिना ही बंधक संपत्ति को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अन्य व्यक्तियों को बेच दिया है। आरोपियों ने न केवल संपत्ति बेची, बल्कि उसी विवादित संपत्ति पर अन्य बैंकों से भी फाइनेंस करा लिया। इस पूरी साजिश के जरिए बैंक चपत लगाई गई है। वहीं करमेता निवासी अमर अहिरवार ने बताया कि एक प्लाट विजय सिंह ठाकुर से खरीदा था। इस सौदे में बिल्डर प्रकाश खरे मध्यस्थ की भूमिका में था। पीड़ित ने बैंक लोन लेकर न केवल संपत्ति खरीदी, बल्कि उसी बिल्डर के माध्यम से वहां निर्माण कार्य भी पूरा करवाया। मकान की देखरेख की जिम्मेदारी बिल्डर प्रकाश खरे को ही सौंप रखी थी। पता चला कि बिल्डर ने उनकी संपत्ति को चुपके से किसी तीसरे व्यक्ति को अधिक कीमत पर बेच दिया है।

फर्जीवाड़े का जाल : एक संपत्ति, दो के नाम रजिस्ट्री

श्रीमति कमला गावंडे वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुई थीं, जिन्होंने माढोताल प्लाट नंबर-55 प्रकाश खरे से क्रय किया था। इसकी रजिस्ट्री संजीवनी नगर उप-पंजीयक कार्यालय में हुई थी। बिल्डर प्रकाश खरे ने धोखाधड़ी करते हुए उसी संपत्ति की रजिस्ट्री प्रशांत राजपूत के नाम पर कर दी है। प्रशांत राजपूत और श्रीमति रोशनी राजपूत ने इसी दूसरी रजिस्ट्री को बंधक रखकर नया लोन उठा लिया। जबकि मूल मालिक कमला गावंडे का परिवार मकान में निवासरत है।

सात लाख ऐंठे, नहीं की रजिस्ट्री

विकास सराठे निवासी मदर टेरेसा नगर ने बताया कि उनका प्रकाश खरे के साथ ग्राम रिमझा कठौदा स्थित वार्ड नं. 72 में एक मकान खरीदने का अनुबंध 11 लाख रुपये में हुआ था। विकास ने अब तक कुल 7 लाख रुपये का भुगतान प्रकाश खरे को कर दिया था। जब लंबे समय बाद भी प्रकाश खरे ने प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई, तो विकास ने अपने पैसे वापस मांगे। इस पर आरोपी ने एचडीएफसी बैंक का 7 लाख रुपये का चैक थमा दिया। जब विकास ने चैक बैंक में लगाया, तो वह बाउंस हो गया।

प्लॉट की रजिस्ट्री कराकर फंसा खरीदार, सीलिंग की जमीन बेची

संजय नगर, गणेश चौक सुभाष वार्ड के निवासी रंजीत ठाकुर ने ने बताया कि प्रकाश खरे से एक आवासीय प्लॉट खरीदा था। यह प्लॉट मौजा-रिमझा (खसरा नंबर 64) के अंतर्गत आता है, जिसका प्राइवेट प्लॉट नंबर 113 है और कुल रकबा 450 वर्गफुट (40.89 वर्ग मीटर) है। पीड़ित ने बाकायदा रजिस्ट्री कराई और सौदे की पूरी रकम का भुगतान भी कर दिया। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब रंजीत ठाकुर अपने खरीदे हुए प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री प्रकाश खरे ने उनके नाम की है, वह वास्तव में सीलिंग की जमीन है। सरकारी रिकॉर्ड में जमीन सीलिंग की होने के कारण पीड़ित को उस पर कब्जा नहीं मिल सका।

एक ही मकान को दो-दो बार बेचा

ग्राम कठौदा वार्ड नंबर 72 निवासी अरविंद विश्वकर्मा ने पुलिस को बताया कि मां उमा विश्वकर्मा और भाई प्रशांत विश्वकर्मा ने मैसर्स विराज कंस्ट्रक्शन एंड एसोसिएट्स के प्रोपराइटर प्रकाश खरे से दो मकान खरीदे थे। रिमझा स्थित खसरा नंबर 64 के प्राइवेट लेआउट प्लॉट नंबर 49 पर निर्मित मकान को 18 लाख रुपये में खरीदा। इस पर पीड़ित ने निजी बैंक से 14.60 लाख रुपये का लोन भी लिया। इसी से लगा हुआ 600 वर्गफुट का एक और मकान भी प्रकाश खरे से खरीदा गया, जिस पर पीड़ित ने 10 लाख रुपये का लोन लिया। घर की किस्तें भर रहा था, तभी अचानक एक दूसरे बैंक के अधिकारी उनके घर नोटिस लेकर पहुंचे। प्रकाश खरे ने मकानों को अमर चौधरी और दिलीप विश्वकर्मा को बेचा, बैंक लोन लिया। इसके बाद उसी संपत्ति को दोबारा अरविंद विश्वकर्मा को बेच दिया।

फर्जी पंजीयन नंबर लगाकर चल रहा था ओवरएज ट्रॉला

आरटीओ उड़नदस्ता की कार्रवाई, तीन वाहन जब्त

नवभारत,जबलपुर। संभागीय परिवहन विभाग के उड़नदस्ता दल ने सघन वाहन जांच अभियान के दौरान अवैध रूप से संचालित एक ट्रॉला पकड़कर बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि ट्रॉला पर फर्जी तरीके से पंजीयन नंबर बदला गया था। उड़नदस्ता टीम द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ट्रैक्टर हेड (हॉर्स) का पंजीयन नंबर बीआर 24 जीडी 4834 था, जिसके दस्तावेज पूर्ण एवं वैध पाए गए। वहीं ट्रॉला पर एमएच 06 एक्यू 6710 नंबर अवैध रूप से चस्पा किया गया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित ट्रॉला 15 वर्ष से अधिक पुराना है और उसके सभी आवश्यक दस्तावेज समाप्त हो चुके थे। चालक द्वारा पुराने और अनफिट ट्रॉला पर दूसरे वाहन का नंबर लगाकर अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था।

दो अन्य वाहन भी जब्त

इसी अभियान के दौरान उड़नदस्ता दल ने दो अन्य वाहनों को भी जब्त किया। इन वाहनों के दस्तावेजों में गंभीर कमियां पाई गईं, जिसके चलते उन पर भी चालानी कार्रवाई की गई। उड़नदस्ता प्रभारी राजेंद्र साहू ने बताया कि परिवहन विभाग के अनुसार मामले में मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की पुष्टि होने पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराएं भी लागू की जा सकती हैं।

सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस की दबिश

आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, बदमाश ने कान पकड़कर मांगी माफी निकाला गया जुलूस

नवभारत, जबलपुर। खितौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 में पुलिस ने सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने अवैध गतिविधियों के अड्डे पर दबिश दी सर्चिंग के दौरान आपत्तिजनक सामान नहीं मिला । जिसके बाद पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे पैदल क्षेत्र में घुमाया। बदमाश कानपकड़कर माफी मांगते हुए नजर आया।

जानकारी के मुताबिक पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि खितौला-मझगवां रोड

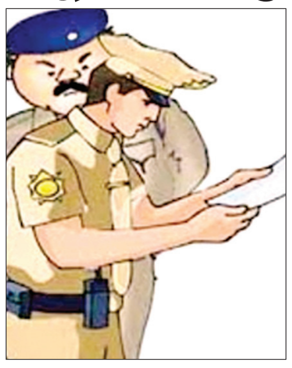

निवासी बंटी उर्फ सुनील (49) के घर में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इस पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त था। खितौला थाना प्रभारी रमन सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस बल ने बंटी के घर पर छापेमारी की। हालांकि, सघन तलाशी के दौरान घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई। लेकिन आरोपी के पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड और अनैतिक गतिविधियों में लिप्तता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। ग्रामीणों के गुस्से और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने आरोपी को क्षेत्र में पैदल घुमाया। इस दौरान एक अनूठा नजारा देखने को मिला जब आरोपी बंटी बीच सड़क पर अपने कान पकड़कर भविष्य में अपराध न करने की कसम खाता दिखा। पैदल मार्च के बाद आरोपी को पुलिस थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी के अनुसार, आरोपी पर वैधानिक प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई गई हैं ।

8 करदाताओं के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई, काटे गए नल कनेक्शन

मुख्यालय, घंटाघर और क्षेत्रीय बस स्टैण्ड में चलाया गया अभियान

नवभारत,जबलपुर। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा संभागवार एवं वार्डवार वसूली अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिन करदाताओं के द्वारा बार-बार सूचना देने के बाद भी बकाया करों की राशि जमा नहीं की जा रही है, उन सभी करदाताओं के विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुर्क सम्पत्तियों को अवधि के उपरांत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नीलाम करने की कार्रवाई भी की जायेगी।

संभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम की राजस्व टीम ने संभाग स्तरीय सदस्यों के सहयोग से मुख्यालय, घंटाघर और क्षेत्रीय बस स्टैण्ड संभागों में प्रभावी कार्यवाही की। जिसमें संभाग क्रमांक 06 क्षेत्रीय बस स्टैण्ड के अंतर्गत डॉ. राम मनोहर लोहिया वार्ड भवन स्वामी अनिल यादव पिता स्वर्गीय शिवपाल यादव बकाया राशि 78 हजार 5 सौ 71 रूपये, सुनील कुमार एवं कुमारी संगीता दोनों के पिता स्वर्गीय आर एस पांडे बकाया राशि 66 हजार 5 सौ 59 रूपये होने पर भवन पर कुर्की के पोस्टर चस्पा किये गए । साथ ही अन्य बकायादारों से सम्पर्क किया गया। कार्यवाही के दौरान संभागीय अधिकारी प्रदीप मरावी, अरविन्द्र श्रीवास्तव, राजस्व निरीक्षक धनेन्द्र सिंह पेन्द्राम, नरेश शर्मा, राम कालेश तिवारी एवं समस्त कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।

कुछ बकायादारों ने किया जमा तो कुछ पर हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार संभाग क्रमांक 12 घंटाघर के अंतर्गत पं. लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वार्ड में भवन स्वामी म.नं. 574 घासी खान, मीकम खान पर बकाया राशि 32 हजार 75 रूपये में से 10 हजार रूपये की राशि मौके पर जमा की गयी। हाफिज अ.कबीर अ. रहमान पर 29 हजार 1 सौ 30 रूपये बकाया होने पर राशि जमा की गयी तथा अब्दुल रशीद अ. लतीफ खान म.नं. 471 पर 54 हजार 1 सौ 8 रूपये बकाया होने पर नल काटने की कार्यवाही की गयी।

इसी प्रकार संभाग क्रमांक 13 मुख्यालय के अंतर्गत स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड में भवन स्वामी प्रफुल्ल कुमार माहेश्वरी स्व. रामगोपाल माहेश्वरी पर बकाया राशि 21 लाख 92 हजार 9 सौ 25 रूपये, पी.पी. सगरिया प्यारेलाल सागरिया बकाया राशि 1 लाख 1 हजार, 7 सौ 27 रूपये एवं प्रभाकर राव मुले पिता नारायण राव प्रभाकर राव पिता स्व. नारायण राव गणेश राव पर बकाया राशि 1 लाख 25 हजार 99 रूपये होने पर कुर्की की कार्यवाही हेतु नोटिस चस्पा किया गया।

टास्क के नाम पर ठगी, ईवेंट और राउंड के चक्रव्यूह में फंसाया

1,11,966 रुपये की धोखाधड़ी

नवभारत,जबलपुर। सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे कमाई करने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह शहर के युवाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। अब गोरखपुर थाना अंतर्गत हाथीताल कॉलोनी निवासी युवक के साथ ई-कॉमर्स बूस्ट नामक टेलीग्राम आईडी के जरिए ईवेंट और राउंड के चक्रव्यूह में फंसाते हुए 1,11,966 रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

पुलिस के मुताबिक विक्रम सिंह ठाकुर निवासी त्रिवेणी देवी विद्या मंदिर स्कूल के पास टेलीग्राम पर ई-कॉमर्स बूस्ट की एचआर जश्मिता यादव का कॉल आया था। उसे झांसा दिया गया कि बिना किसी निवेश के केवल गेम

खेलकर वह मोटी रकम कमा सकता है। शुरुआत में विक्रम को 5000 रुपये का मुनाफा हुआ, जिससे उसका भरोसा बढ़ गया। धोखाधड़ी का खेल तब बढ़ा जब विक्रम को एक ईवेंट का लालच दिया गया। उससे कहा गया कि 35,000 रुपये लगाने पर 17,000 रुपये का सीधा मुनाफा मिलेगा। पहला राउंड पूरा होने के बाद, दूसरे राउंड के नाम पर 76,966 रुपये और जमा कराए गए। जब विक्रम ने पैसे लगाने से मना किया, तो उसे डराया गया कि यदि उसने अगला राउंड पूरा नहीं किया, तो उसका पुराना पैसा भी डूब जाएगा। डर और लालच के चलते विक्रम ने कुल 1,11,966 रुपये जमा कर दिए। इसके बाद जब तीसरे राउंड में 1.80 लाख रुपये की मांग की गई, तब उसे अहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो चुका है। अपना पैसा वापस मांगने पर आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज

स्मार्ट मीटर अपडेट के नाम पर शिक्षक के खातों से उड़े 1 .22 लाख

शहर में साइबर ठगों ने एक बार फिर बिजली विभाग का कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। गोरखपुर अंतर्गत हावाबाग कॉलेज हॉस्टल परिसर में रहने वाले 50 वर्षीय इनबराज जोसेफ के साथ स्मार्ट मीटर अपडेट करने के नाम पर 1.22 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार पीड़ित के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को जबलपुर विद्युत विभाग का कर्मचारी बताया और कहा कि उनका स्मार्ट मीटर अपडेट किया जाना है, जिसके लिए मात्र 15 रुपये जमा करने होंगे।

वीडियो कॉल और एपीके फाइल से हैक किया फोन

ठग ने झांसा देते हुए कॉल को अपने एक कथित वरिष्ठ अधिकारी के पास ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद जालसाजों ने पीड़ित को वीडियो कॉल किया और मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी। जैसे ही पीड़ित ने उस फाइल पर क्लिक किया, उनका मोबाइल फोन हैक हो गया। मोबाइल का एक्सेस मिलते ही ठगों ने इनबराज जोसेफ के दो अलग-अलग बैंक खातों में सेंध लगा दी। ठगों ने दो खोतों कुल 1,22,552 रुपये की धोखाधड़ी की गई।

मिठाई ने बनाया दोस्त का कातिल, आरोपी गिरफ्तार

नवभारत,जबलपुर। गोराबाजार थाना अंतर्गत ग्राम जैतपुरी में बुधवार शाम मिठाई खाने पर उपजे विवाद के बाद युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है जिसे आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पलिस के मुताबिक ग्राम जैतपुरी निवासी कृष्ण कुमार उर्फ उमंग उइके (18) बुधवार शाम करीब 7:30 बजे अपने साथी ब्रजेश उर्फ बिज्जू गौंड और पंकज बरकड़े के साथ गौर नदी स्थित खेत से मोटर सायकल पर घर लौट रहा था। रास्ते में यज्ञशाला के पास दोस्त साजन झारिया ने उनकी गाड़ी रोक ली और मेले में मिठाई खाने की बात पर विवाद करने लगा। जब ब्रजेश ने विरोध किया, तो साजन ने उसके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने आए कृष्ण कुमार पर साजन ने अचानक चाकू

से हमला कर दिया। चाकू कृष्ण कुमार के सीने के बाईं ओर लगा, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी गया था।

कुत्ता सामने आया तो बाइक से गिरे, साथी भी घायल

घायल कृष्ण कुमार को उसके साथी तुरंत मोटर सायकल से विक्टोरिया अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में अचानक कुत्ता सामने आ जाने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे साथी ब्रजेश को भी माथे पर चोटें आई हैं। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया।

जंगल से साजन को दबोचा

टीआई संजीव त्रिपाठी ने बताया कि जैतपुरी के जंगल में दबिश देते हुए आरोपित साजन झारिया 19 वर्ष निवाी जैतपुरी को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चाकू जब्त कर लिया गया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जायेगा ।

9 मार्च तक जमा करें राशि, नहीं तो होगी कुर्की

रेरा बकाया की 17 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई तेज

नवभारत,जबलपुर। न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त चरगवाँ, तहसील शहपुरा द्वारा रेरा से प्राप्त आरआरसी के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली हेतु सूचना जारी की गई है। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका और अवमानना के साथ कलेक्टर जबलपुर के निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है। प्रशासन द्वारा जबलपुर और नागपुर स्थित पतों पर तीन बार रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र प्रेषित किए गए, किंतु वे बिना तामील हुए वापस प्राप्त हुए। नायब तहसीलदार चरगवां ने निर्देश दिए हैं कि अनावेदक 9 मार्च 2026 से पूर्व समस्त बकाया राशि जमा करें। निर्धारित समय सीमा में भुगतान न होने की स्थिति में 9 मार्च 2026 को नियमानुसार संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

इन पर है राशि बकाया

प्रकरण के अनुसार अनावेदक मेसर्स डेवलपर्स पार्टनर अरुण महेश्वर श्रीवास्तव, निवासी वर्टिका अपार्टमेंट, राइट टाउन जबलपुर, से 12,32,919 रुपये तथा 5,62,500 रुपये की कुल बकाया राशि वसूल की जानी है। उक्त राशि पर 1 फरवरी 2024 से 17.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

शवदाह कर्मचारी के घर में निकला सांप

जबलपुर। गढ़ा थानांतर्गत चौहानी मुक्ति धाम में शवदाह करने वाले निगम कर्मचारी रामलाल डुमार ने सुबह आठ बजे देखा कि उनके घर के एक कोने में बादामी रंग का गोलाकार पीली धारी वाला एक सर्प बैठा है। उसे भगाने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं भागा। अंतत: सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी गई जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर तिलवारा के जंगल में छोड़ दिया। फिलहाल सर्प के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली।

प्रशिक्षण ▶ पहली बार आमजन को मिलेगा सुनहरा अवसर

स्व गणना पोर्टल के माध्यम से जनता खुद लिखेगी अपनी प्रगति की इबारत

दो चरणों में जनगणना का कार्य कराया जायेगा पूरा

डिजिटल क्रांति के साथ जनगणना 2027 का शुभारंभ

नवभारत,जबलपुर। देश की आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय योजनाओं के सही क्रियान्वयन और नीति निर्धारण के लिए जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्र का दर्पण है। इसी संकल्प के साथ नगर निगम द्वारा आजादी के बाद की 8वीं और 1872 के बाद की 16वीं जनगणना का विधिवत प्रशिक्षण कार्यक्रम स्मार्ट सिटी कार्यालय नगर निगम के आयुक्त एवं शहरी क्षेत्र के मुख्य जनगणमना अधिकारी रामप्रकाश अहिरवार की उपस्थिति में शुरू किया गया। यह प्रशिक्षण 20 फरवरी 2026 को सम्पन्न होगा। इस बार की जनगणना में तकनीक और जन-भागीदारी का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि इतिहास में पहली बार आम नागरिकों को स्व-गणना का सौभाग्य प्राप्त होगा। आम जनता स्वयं पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे आंकड़ों में शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। गुरूवार को निगमायुक्त के साथ जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त निदेशक रामावतार पटेल, जबलपुर जिले के प्रभारी मनोज नाथानी एवं नगर निगम के अपर आयुक्त मनोज श्रीवास्तव आदि ने बारी-बारी से जिला एवं निगम कर्मचारियों को जनगणना की बारीकियों से परिचय कराया तथा विस्तृत जानकारियां दीं।

कुछ इस तरह चलेगी प्रक्रिया

प्रशिक्षण में संयुक्त निदेशक रामावतार पटेल और जिला प्रभारी मनोज नाथानी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। उन्होंने बताया कि 16 से 30 अप्रैल 2026 तक पोर्टल के माध्यम से आमजन द्वारा स्व-गणना का कार्य किया जायेगा, स्व गणना करने के उपरांत आमजनमानस को जनरेट एस.ई. आई.डी. सुरक्षित रखना होगा और जब उनके घर प्रगणक आए तो उन्हें देना एवं बताना होगा। उन्होंने बताया कि 1 मई से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जायेगा। इसी प्रकार फरवरी 2027 में मुख्य जनसंख्या गणना के कार्य की शुरुआत होगी।